

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक 1065 /टीसी/ 93/खण्डवा/उपां/नग्रानि/2022
प्रति,

भोपाल,दिनांक | /03/2023

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
भोपाल।

विषय:- खण्डवा विकास योजना, 2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोगउपांतरण बाबत। (ग्राम कस्बा खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा की नजूलशीट क्रमांक 86 प्लाट क्रमांक 01 एवं 02, नजूलशीट क्रमांक 84 प्लाट क्रमांक 14 नजूलशीट क्रमांक 83 प्लाट क्रमांक 05 कुल रकबा 15.600 हेक्टेयर (1678590 वर्गफीट))

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने खण्डवा विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अतः संलग्न सूचना, खण्डवा नगर में प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा खण्डवा नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदनुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियाँ इस संचालनालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक /03/2023

पृ. क्रमांक /टीसी/ 93/खण्डवा/उपां/नग्रानि/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2 कलेक्टर, जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
- 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा की ओर लेख है कि, उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- /03/2022

क्रमांक 1065 /टीसी/ 93/खण्डवा/उपां/नगानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट खण्डवा विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

ग्राम	नजूलशीट क्रमांक	प्लॉट क्र.	क्षेत्रफल		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
ग्राम कस्बा खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा	86	01	3.202 हेक्टेयर (344563 वर्ग फीट)	3.202 हेक्टेयर (344563 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
		02	7.434 हेक्टेयर (799914 वर्ग फीट)	7.434 हेक्टेयर (799914 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
	84	14	1.880 हेक्टेयर (202326 वर्ग फीट)	1.880 हेक्टेयर (202326 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
	83	05	3.083 हेक्टेयर (331787 वर्ग फीट)	3.083 हेक्टेयर (331787 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
कुल रकबा			15.600 हेक्टेयर (1678590 वर्गफीट)			

शर्त :-

- 1 खण्डवा हरसूद मार्ग से प्रश्नाधीन भूमि तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर रखी जाना अनिवार्य होगा।
- 2 प्रश्नाधीन भूमि की उत्तर दिशा में सिंचाई विभाग एवं केन्द्रीय विद्यालय परिसर से लगकर प्रश्नाधीन भूमि की सीमा में समानान्तर 18.00 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल